न्यायालय अंचलाधिकारी, सम्पतचक /

अनुसूची १४—फारम सं० ५९१ ।

आदेश-फलक

(देखें मिलेन हस्तक; १९४१ का नियम १२९)

आदेश फलक .... सूबा

जिला .... सं० .... सन् १९ ....

केस का कारण: दा० खा० / नामांतरण वाद सं० - 504/13-14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
१	२	३
14.6.13	श्री अरविन्द प्रसाद पि० - स्व० कमलाप्रसाद सा० - आजाद नगर, था - III - कंकड़बाग, जि० पटना ने आवेदन देकर निम्नांकित जमीन का दा० खा० / नामांतरण करने का अनुरोध किया है —	
	मौजा: शाहपुर — खाता: 59 — खेसरा: 437 — रकबा: 5.2.	
	रा० कर्म० एवं अ० निरी० का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, रा० कर्म० एवं अ० निरी० ने अपने प्रतिवेदन द्वारा प्रतिवेदित किये हैं कि आवेदक के पिता के नाम से जमाबंदी कायम है। आवेदक से शपथ पत्र की मांग करते हुए आम इश्तहार एवं सभी पक्षों को सूचना पत्र दा० खा० की अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।	
	अतः रा० कर्म० एवं अ० निरी० के प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक, आम इश्तहार एवं सभी पक्षों को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दि० 21/7/13 को रखें।	
	लि० एवं संशो० 14.6.13 अंचलाधिकारी सम्पतचक। — अंचलाधिकारी सम्पतचक	

[illegible]

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
१	२	३
22·8·13	अभिलेख उपस्थापित, नोटिस का निर्गत प्रतिवेदन प्राप्त। निर्धारित तिथि के पश्चात आज दि० 22.8.13 को आवेदक द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र सं० 36392 दि० 20.8.13 जमा किया गया। अतः राजस्व कर्म० अं० निरी० के अनुशंसा एवं संलग्न कागजातों के आधार पर राजस्व हित में दा० खे०/नामांतरण की स्वीकृति दी जाती है। इसके वाद पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। शुद्धि पत्र निर्गत करें। लि० एवं शो० (हस्ताक्षर) अंचलाधिकारी सम्पतचक पटना। (हस्ताक्षर) अंचलाधिकारी सम्पतचक, पटना।	